

कौशल विकास योजना के साथ विकाश कि ओर बढ़ता भारत

शोधार्थी

नितिश गिरि रंजन

एल.एन.एम.यू दरभंगा

(प्रवेक्षक)

प्रो०- विजय कुमार यादव

अर्थशास्त्र विभाग अध्यक्ष दरभंगा

भारत हीं नहीं दुनियाँ के हर एक देश व सदीयों से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने कि लड़ाई लड़ रहे है। आज जितने भी आविष्कार हमारी आँखों के सामने नजर आ रही है। वो सारे प्रचलित आविष्कार इन्हीं आत्म निर्भरता की लड़ाइयों का नतीजा है। लेकिन एक कहावत प्रचलित है कि आवश्यकता हीं आविष्कार कि जननी होती है। इसलिए यह लड़ाई आज तक खत्म नहीं हो पायी और न आगे हीं खत्म होने कि कोई उम्मीद है। क्यासेंकि हर एक समस्या के सामाधान होते हीं एक दुसरी समस्या खड़ी हो जाती है और फिर नये आविष्कार होने शुरू हो जाते है। अर्थात जब तक लोगों कि आवश्यकताएं बढ़ती रहेगी तब तक ये आविष्कार का दौर चलता रहेगा। भारत में वर्तमान सरकार इन्हीं आत्म निर्भरता को प्राप्त करने हेतु कई सारी योजनाओं को संचालित कर रही है। जिनमें से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल योजना आदी प्रमुख है। स्वतंत्रा के समय भारत की अर्थव्यस्था के सामने कई सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। जिनका तत्काल सामाधान कर पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती खाद्यान समस्या थी क्योंकि उन्नत तकनीक एवं आधुनीक संसाधनों के आभाव में हमारी कृषि अर्थव्यवस्था सीमांत कृषि उत्पाद हीं प्रदान कर रही थी। अतः इस व्यवस्था को तत्काल बदलने कि आवश्यकता थी। यह केवल एक क्षेत्र विशेष कि समस्या नहीं वरण सम्पूर्ण कृषि, सेवा, एवं औद्योग क्षेत्र में भी व्याप्त थी वस्तुतः इस समस्या के सामाधान हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चुनाव किया गया जहां सिमित संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसे हर्षमैन असंतुलित का विकास मॉडल कहा जाता है। सर्व प्रथम कृषि संबंधी संसाधनों के इस्तेमाल में परिवर्तन किये गये जिसके लिए आयातों का सहारा किया गया। आयातों के जरिए सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी रासायनिक उर्वरक, एवं उत्तम संसाधनों के साथ साथ आधुनिक जानकारियं उपलब्ध करवाई साथ हीं आर्थिक विकास कि धारा को निरंतरता प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियानवयन किया। प्रथम योजन के द्वारा देश को कृषि क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त हुई जिससे देश में खाद्यानों कि समस्या पर कुछ हद तक अंकुश लगा। दुसरी पंचवर्षीय योजना के रचनाकार पी०सी० महनलोविस थे जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्णायक कदम उठाया। उस समय देश कि आर्थिक स्थिति एवं संसाधनों कि आवश्यकता

एवं उपलब्धता को देखते हुए मात्र पांच स्थानों पर ही औद्योगिक उत्पादन संयंत्र स्थापित किये। जिनमें भिलाई, गुर्गापुर एवं राउर किला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रमुख थे। जैसे जैसे भारत की औद्योगिक नीति समय के साथ विकसित होती गयी वैसे वैसे समय कि मांगों के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन होते गये। आजादी के बाद विकास कि बागडोर सार्वजनिक क्षेत्रों के हाथों में देना और योजना बद्ध तरीके से सभी क्षेत्रों को जोड़कर आगे बढ़ना जरूरी था ताकि भविष्य के लिए ठोस आधार तैयार किया जा सके इसके साथ ही साथ सरकार ने समय समय पर विभिन्न औद्योगिक नितियों के जरिए अपना दुरदर्शी दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम सरकार ने अपनी दुरदर्शीता का परिचय देते हुए 1948 में पहली औद्योगिक नीति कि नींव रखी। जिसमें भारत कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों कि महत्वता को स्वीकार किया। तदुपरान्त 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को पारित किया। लेकिन 1948 एवं 1951 कि औद्योगिक नितियों कि महत्वता जारी रही जिसमें सरकारों एवं निजी क्षेत्रों के सहयोग कि प्रधानता तो रही, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों कि बढ़ती भूमिका के लिए विशेष प्रावधान तो रही लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों कि बढ़ती भूमिका के लिए विशेष प्रावधान किया गया, ताकि समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था को असीमित ऊँचाईयों पर ले जाया जा सके। वहीं अगर 1991 कि औद्योगिक नीति कि बात करे तो वह नीतियाँ 1980 के अंतिम वर्षों में सुलग रहे संकट का परिणाम थी। इसके नई औद्योगिक नितियों में कई परिवर्तन किये गये ताकि शासन नियंत्रण अर्थव्यवस्था के दायरे से निकल कर नियंत्रण मुक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था कि ओर तेजी से आगे बढ़ सके। उसके बाद के वर्षों में नीति बनाने वालों पर यह सोच हावी होने लगी कि सरकार को किसी भी क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप करने के बजाए सहायक की भूमिका निभानी चाहिए ताकि उपयुक्त क्षेत्रों में कार्य कुशलता के साथ – साथ पूर्ण प्रतिस्पर्धा विकसित हो और देश आत्म निर्भरता के मार्ग पर द्रुत गति से गमण कर सके। अतः कहा जा सकता है कि भारत की औद्योगिक नीति समय कि मांग के अनुसार इनमें उपयुक्त परिवर्तन किये जाते रहे है। जिस तरह आजादी के समय सीमित संसाधनों के उचित आवंटन के लिए सोच समझकर फैसला लिया गया कि उपयुक्त संसाधनों को आवश्यकता के अनुरूप कहां लगाया जाए ताकि परिणाम अपेक्षित और अनुकूल हो। खास तौर से पूंजीगत माल पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि निर्यात कि शुरुआत हो सके। निर्यात का मार्ग प्रसस्त होने से देश कि मुद्रा कोष में विदेशी पुंजी एकीकृत होती है। जिससे विनियम संबंधी समस्या में सहूलियत होती है। एवं भुगतान संतुलन अपने संतुलित स्तर पर रहता है। आज आधुनिकता के दौर में हमारी वर्तमान सरकार उद्योग धंधों से लेकर आर्थिक तंत्र के समस्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी प्राथमिकताओं को विचारगत रखते हुए भारत सरकार ने कुछ योजनाओं को क्रियान्वित किया है। जिनमें से कुछ प्रमुख है।

1. कौशल विकास योजना
2. मेक इन इंडिया का प्रभाव
3. कौशल उद्यमीता योजना
4. स्वर्टप योजना

कौशल विकास योजना— औद्योगिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए कौशल विकास योजना को 21 मार्च 2015 को संचालित करने का निर्णय लिया गया ताकि औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कुशल श्रमीकों कि पूर्ति को बढ़ाया जा सके इसके लिए सम्पूर्ण भारत में प्रखण्ड स्तर पर कई सारे प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित किया जा रहा है। इस लक्षित योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष के दौरान 1120 करोड़ 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाएंगे खास तौर से प्रशिक्षण में उच्च कौशल, व्यक्तिगत विकास, स्वच्छता हेतु व्यवहार में परिवर्तन, एवं नैतिक कार्य स्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कौशल विकास एवं उद्यमीता मंत्रालय के माध्यम से की गई है। यह विभिन्न भागो में बटे कौशल संबंधी समस्या का समन्वय करेगा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास परिषदों कि प्रक्रिया का मानकीकरण करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में युवाओं को प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त करने संबंधी तमाम सहायता प्रदान कि जाएगी। जिससे उत्पादन कि गुणवत्ता सुधार के साथ साथ उत्पादन वृद्धि कि सम्भावनाएं भी बढ़ेगी।

पहले जहां जनोंकिकीय लाभांश को केवल उपभोग उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता था। वह धारणा कौशल विकास योजना के आगमन से टुट रही है। अब इन योजनाओं के लाभ से युवाओं में कार्य के प्रति जाग्रिती बढ़ी है। जो न केवल आत्म हित के लिए ही लाभदायक साबित हो रही है बल्कि देश हि में भी महत्वपुर्ण योगदान दे रही है। इन्हीं हितप्रेरक लाभदायकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने भारत को पांच ट्रीलियन इकानोमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक विकास कि दृष्टि से भारत जहां विकासशील देशो कि श्रेणी में खड़ा था वो अब दुनियां कि तीसरी सबसे बड़ी इकॉनोमी बन चुकी है। निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में पहले जहां भारत से केवल खाद्य सामग्री एवं कच्चे माल निर्यात किये जाते थे अब उनके जगह खाद्य सामग्री के अलावा निर्मित माल तकनीकि साजो सामान के अलावा और भी कई चीजों का निर्यात किया जा रहा है। जिससे न केवल भुगतान संतुलन कि समस्या में सुधार देखा जा रहा है। बल्कि विदेशी पुंजी के आगम में भी कमी देखी जा रही है। भारत जो अभी तक अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण लेता रहा है। अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है। अर्थात अब भारत कई बहुपक्षीय संस्था को ऋण उपलब्ध कराने लगा है। अगर हम कृषि निर्यात कि बात करे तो हाल हीं कृषि वस्तुओं कि सुव्यवस्थित विपणन को विनियमित नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर प्रोत्साहित किया गया है। जिसका मुख्य उदेश्य आपूर्ति एवं मांग की अवाधित बाजार एवं वतावरण का निर्माण कर किसानों तथा उपभोक्ता के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना रहा है। ताकि विदेशी विनिमय बाजारों में मूल्य स्थिरता को कायम रखा जा सके साथ हीं निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम में आयात प्रतिस्थापन कि समस्या को कम किया जा सके। अब तक कृषि निर्यातों के जरीये 60 प्रकार के कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुँचाया जाता है। इनमें फल और सब्जीयां, मशाले, तिलहन, बीज शामिल है। अब तक जहां कृषि उत्पाद सीमित उत्पादकता एवं बाजार विफलता के कारण विदेशी बाजारों में पुर्ति नहीं बढ़ा पा रही थी। वहीं अब कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित एवं कुशल किसान नये नये तकनीकों कि मदद से कृषि उत्पादों को बढ़ाने में अग्रसर हैं, साथ हीं सरकारों के द्वारा कृषि वस्तुओं के सुव्यवस्थित विपणन को विनियमित नेटवर्क के माध्यम से

प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहां पहले 1950 में विनियमित बाजारों की संख्या 286 थी वहीं अब 31 मार्च 2016 आते आते 7114 तक पहुंच चुकी इसके साथ ही देश के विभिन्न आन्तरिक हिस्सों में 22759 ग्रामीण नियतकालिक बाजार भी खुल चुके हैं। जहां ग्रामीण स्तर पर छोटी एवं मध्य वर्ग के किसान कृषि विपणन से संबंधित कार्य सम्पन्न करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 – 16 में दी गई सुचना के अनुसार विश्व व्यापार संगठन कि व्यापार सांख्यिकी ने वर्ष 2014 में विश्व व्यापार में भारत के कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.46 प्रतिशत और 1.46 प्रतिशत आंकलित किया है। कृषि सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जहां कृषि निर्यात 2009 – 10 में 7.95 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015 – 16 में 12.8 प्रतिशत तक पहुंच गयी। इसी अवधि के दौरान कृषि सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात भी 4.90 प्रतिशत से बढ़कर 9.82 प्रतिशत हो गयी थी। जो एक प्रगतिशिल अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जा सकती है। वहीं अब औद्योगिक उत्पाद में निर्मित वस्तुओं की मात्राओं में वृद्धि देखी जा रही है। अगर हम 2021 – 22 के आँकड़ों कि बात करे तो औद्योगिक निर्यात वृद्धि स्पष्ट देखी जा सकती है।

(औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2017 – 18 एवं 2021 – 22 व 2022 – 23 के संयुक्त आंकड़े)

| औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर प्रतिशत में आधार वर्ष 2021 – 12 | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2021 – 22 व 2022 – 23 | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 – 17 (%) | 2017 – 18 (%) | 2021 – 22 (%) | 2022 – 23 (%) |
| सामान्य IIP | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 5.4 |
| खनन | 5.3 | 2.8 | 9.8 | 5.4 |
| विनिर्माण | 4.4 | 3.8 | 2.6 | 4.8 |
| बिजली | 5.8 | 5.1 | 10.4 | 9.9 |
| उपभोग आधारीत प्राथमिक वस्तुएँ | 4.9 | 3.5 | 1.2 | 3.3 |
| पूँजीगत वस्तुएँ | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 7.2 |
| मध्यवर्ती वस्तुएँ | 3.3 | 1.7 | — | — |
| टवसंरचना एवं विनिर्माण | 3.9 | 4.3 | — | — |
| उपभोक्ता टिकाउ वस्तुएँ | 2.9 | —1.2 | —1.9 | 14.1 |
| उपभोक्ता गैर टिकाव वस्तुएँ | 7.9 | 10.3 | —21.9 | —0.2 |

नोट— वृद्धि दर प्रतिशत के रूप में 2016 – 17 एवं 2021 – 22 के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन

स्रोत— www.mospi.gov.in एवं आर्थिक समीक्षा पार्ट – 2 , 2016 – 17

जहाँ पहले 2017–2018 में सामान्य IIP 4.61 से बढ़ाकर 3.7 पर आ चुकी थी वहीं 2022–23 में बढ़कर 5.4 तक पहुंच गई वहीं खनन, विनिर्माण एवं विद्युत में 5.4, 4.8, 9.9 प्रतिशत कि वृद्धि देखी जा रही है। आज भारत सरकार इस वृद्धि को सतत वृद्धि बनाने के लिए जिस वृद्धि के साथ नये औद्योगिक संस्थानों कि स्थापना कर रही है। उसी रफ्तार से कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की भी स्थापना कि जा रही है। ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित कर कुशल श्रमीक बनाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार सरकारी एवं निजी भागिदारी को एक साथ जोड़ने की योजना बना रही है।

कौशल विकास में निजी एवं सरकारी भागीदारी— आजादी के समय पुंजीगत संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ही अवश्यकता अनुकूल उद्योगों में निवेश किये गये। लेकिन उस समय भी निजी उद्यमों का असतित्व था। लेकिन उनके पास भी केवल सिमित संसाधन एवं पुंजी मौजूद थी। जो एक अर्थव्यवस्था को पुर्ण गति प्रदान करने के लिए नाकाफी थी क्योंकि उस समय उत्पादन संयंत्र काफी जटिक एवं किमती हुआ करती थी। जिससे आम नागरिक स्थापित करने में असक्षम थे लेकिन जैसे – जैसे तकनीकों का अविष्कार होता गया उन संयंत्रों की छोटे स्वरूप भी बाजारों में आने लगे जिससे न केवल सरकारी क्षेत्रों को लाभ मिला बल्कि आम जनमानस भी छोटी छोटी कुटिर एवं लघु उद्योगों को स्थापित करने लगे। आज कौशल विकास योजना के आगमन से इन क्षेत्रों में असीमित वृद्धि और प्रगति देखी जा रही है। आज के दौर में अधिकतर ऐसे उद्योग है जो या तो पूर्णतः निजी संयोजको द्वारा संचालित कि जा रही है या सरकारी एवं निजी भागिदारी के द्वारा सम्मिलित स्वरूप से संचालित किये जा रहे है। आज वर्तमान सरकार, निजी नियोजकों कि सफलता को देखते हुए अधिकतर सरकारी उद्यमों को निजी हाथों मे देने कि योजना बना रही है। जिसे निजीकरण कहा जाता है जैसे एय इण्डिया, भारतीय रेलवे, पेपर मिल, जुट मिल आदि ऐसे अनेक उद्यम है। जिन्हें सरकार निजी हाथों में सौंप चुकी है।

प्रवासी कौशल विकास योजना – कौशल विकास योजना के प्रथम चरण में असातित सफलता प्राप्त करने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने उन प्रवासी श्रमीकों को भी जोड़ने का संकल्प लिया जो अक्सर बेरोजगारी के कारण अपने ग्रामीण संस्कृति एवं परंपरागत रोजगार को छोड़कर अन्यत्र पलायन के लिए मजबुर होते है। भला उनको नजर अंदाज करके सफल आत्मनिर्भता का सपना अधुरा प्रतित होता है। अतः इस विचार धारा एवं नई सोच को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी 2017 को नई प्रवासी कौशल विकास योजना कि शुरुआत कि जो भारतीय युवाओं का विदेशों में रोजगार कि मांग पर केन्द्रित है। साथ ही लक्ष्य कि प्राप्ति हेतु कुछ कारगर उपाय करने कि भी आवश्यकता है। इस योजना का उदेश्य विदेशों में रोजगार कि तलाश करने वाले भारतीय युवाओं के कौशल विकास में संबंधन कर उच्च कौशल व तकनीकी गुणवत्ता से सुसज्जीत किया जा सके। इसके तहत उन्हें कौशल अनुरूप इच्छित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाएंगे ताकि अन्तराष्ट्रीय मानको के साथ चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार कि मांग करने वाले छात्र आसानी से रोजगार प्राप्त कर सके। इसके तहत उन्हे कौशल अनुरूप इच्छित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाएंगे

ताकि अन्तराष्ट्रीय मानको के साथ चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार कि मांग करने वाले छात्र आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें।

मेक इन इंडिया— कौशल विकास योजना कि सफलता के बाद सरकार ने विदेशी वस्तु आयातों को कम करने तथा स्वदेशी निर्माण को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया का शुभआरंभ किया साथ ही वोकल फॉर लोकल के संकल्प ने इस योजना को सफल बनाने में भरपुर योगदान दिया। अगर देखा जाए तो हमारे देश में एक बड़ी आबादी युवाओं कि है। जिनमें से अधिकतर हुनरमंद एवं कार्यशील प्रवृत्ति के है। लेकिन अर्थाभाव एवं जानकारी के आभाव में बेरोजगार है अथवा मौसमी के बेरोजगारी का सामना कर रहे है। क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्हें अपने हुनर एवं प्रतिभा शक्ति को उजागर करने का मौका नहीं मिला लेकिन अब सरकार ने इनके हुनर एवं प्रतिभा शक्ति को दुनियां तक पहुंचाने का मौका प्रदान किया है। आज वो तमाम सारी वस्तुएं जो परम्परागत तौर पर तैयार कि जा रही थी। उन्हें एक पहचान दिलाने कि योजनाएं बनाई जा रही है। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण से लेकर पूंजी एवं तकनीकी संसाधन प्रदान करने तक की तमाम सुविधाओं की व्यवस्था कि जा रही है। जो वोकल फॉर लोकल के सपनों को साकार करती है। अब तक यह व्यवस्था केवल एक स्तर पर काम कर रही थी। जिसका फैलाव केवल सीमित क्षेत्रों तक ही था। वहीं अब इसको तीन स्तरों तक फैलाने कि व्यवस्था कि जा रही है। जिसमें ग्रामीण स्तर से लेकर देश के आन्तरीक भागों के साथ विदेशी बाजारों तक विस्तार किया जा सकेगा। अब तक इन्हीं योजनाओं को आत्मसात करते हुए बहुत सारी विदेशी कम्पनियों भारत में अपने उत्पाद को फैला चुकी है। जिसमें खास तौर से ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ता वर्ग को लक्षित करते हुए गो – रुरल के मंत्र के अनुसार योजना वद्ध तरीके से अपने उत्पाद को देश को कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है। अब तक विदेशी वस्तुओं के आगमन ने न केवल हमारी ग्रामीण स्तर पर चलने वाले कुटिर एवं लघु उद्यमों को क्षति पहुंचाई है। बल्कि हमारे लघु व कुटीर कर्मियों की प्रतिभा को भी हतोत्साहित करने का प्रयास किया है। जिनके बदौलत यहां के छोटे उद्यमी अपना जीवन यापन करते थे क्योंकि ये विदेशी उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किये जाते थे। जो देखने में आर्कषक तो होते ही थे साथ ही इनके बनाने में विदेशी कम्पनियों को कम लागत आती थी। जिससे ये सस्ती हो कर हमारे बाजारों तक आसानी से पहुंच जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इन उत्पादों के स्थान पर स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही इनकी लागत को ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कम लागत में अत्यधिक उत्पादन प्रदान करती है। इस योजना में बाधा बनने वाली पूंजी कि समस्या का भी सामाधान किया जा रहा है। सरकार अब छोटे उद्यमियों एवं कारोवारियों के लिए मुद्रा ऋण योजना का भी शुभारंभ कर चुकी है। जहां से उद्यमियों के लिए आसान किस्तो एवं कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। साथ ही इनमें गरीब उद्यमियों के लिए छुट का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना तीन प्रकार के ऋण प्रदान करती है।

1. शिशु
2. किशोर
3. तरुण

शिशु ऋण के अन्तर्गत उन उद्यमियों को सम्मिलित किया जाता है। जिनकी उत्पादन साधनों की लागत क्षमता 50 हजार के आस पास होती है। वहीं किशोर ऋण का लाभ उन उद्यमियों को प्रदान कि जाती है। जिनकी साधन लागत क्षमता 50 हजार से अधिक एवं 5 लाख से कम तक होती है। वहीं तरुण उनसे उपर के उद्यमियों को दिया जाता है। अब तक इस योजना से लाखों व्यवसायी लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना का प्रभाव आज के बदलते परिदृश्य को देखकर लगाया जा सकता है। आज मेक इन इंडिया के तहत जिस प्रकार से बाजारों का विस्तारीकरण हो रहा है। उन्हीं अनुपातों में लघु एवं कुटीर उद्योगों में वृद्धि भी हो रही है। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण बाजारों में नैने तकनीकी कि उपलब्धता को दिया जा सकता है। आज नैनो तकनीक का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। खास तौर से कपड़ा उद्योग, आगरबत्ती उद्योग लकड़ी से बनने वाले सामानों से संबंधित उद्योग है। एवं घरेलु साजो समानों के अलावा तमाम तरह के छोटे उद्योग में भी प्रयोग किये जाते एवं आज कौशल विकास योजना एवं मेक इन इंडिया योजना के बदौलत हैदराबाद जैसे शहरों में स्वदेशी तरीको से बैट्री निर्माण उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं ताकि चीन से आयात होने वाली इलेक्ट्रोनी सामान का आयात कम किया जा सके आज देश आत्मनिर्भरता कि उन तमाम सम्भावनाओं का लाभ उठा रहा है। जो देश को पहले तक संभव न थी।

निष्कर्ष—

आज देश कि आर्थिक स्थिति के देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि देश आत्मनिर्भरता के पहले पलदान को पार कर चुका हैं और इस प्राप्ति के पीछे कौशल विकास योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले साधन एवं संभावनाओं का पुर्णतः आभाव पाया जाता था। बल्कि उन साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए एवं संभवनाओं को कैसे अवसर में बदला जाए इसके लिए उन उच्चतम कौशल एवं जानकारीयों का आभाव था। जिसके बदौलत कम लागत में बेहतर सुविधाएं प्राप्त कि जा सके। आज कौशल योजना के आगमन से उन सारे लक्ष्यों कि प्राप्ति आसानी संभव हो पा रही है। जिसकी दशकों पहले तक कल्पना नहीं कि जा सकती थी। आज देखते देखते भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। जो निःसंदेह आत्मनिर्भरता कि पहली उड़ान कही जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. योजना पत्रीका
2. कुरुक्षेत्र
3. कपड़ा उद्योग में नैनो तकनीकी योजना अक्टुबर 2021 है। डा0 नेहा यसवंत हेवलक्वुर
4. वोकल और लोकल से ग्रामीण विपणन को नई दिशा कुरुक्षेत्र सितम्बर 2021 है। डा0 सन्नी कुमार
5. कौशल विकास व निजी सार्वजनिक भागीदारी (योजना- 2020) डा0 मनिष कुमार
6. सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यस्था (अतिरिक्तांक) 2019
7. ग्रामीण मार्केट में बड़े बदलाव कि जरूरत (कुरुक्षेत्र 2021) डा0 के0.के0 त्रिपाठी
8. इण्डियन इकोनोमिक्स
9. राज्य संख्यकीयों आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट